



अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,

घंटाघर, भागलपुर-812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com

website:-www.ctebhagalpur.in

अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण प्राप्ति हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर के परिसर में Renovation of ICT Lab Furniture & Electric Wiring Work के कार्य हेतु कनीय अभियंता, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर के द्वारा तैयार प्राक्कलन जिसकी राशि मो०-3,11,900.00/- (तीन लाख ग्यारह हजार नौ सौ रूप०) मात्र को आवासीय एवं सहायक अभियंता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण बिहार, पटना के द्वारा तकनीकी स्वीकृति के उपरांत पंजीकृत अथवा अन्य इच्छुक संवेदकों के लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन संबंधित दिशानिर्देश निम्नवत् है-

1. BOQ ब्रिकी की आखिरी तिथि-05.02.2026
2. कोटेशन सील बंद लिफाफे में दिनांक-06.02.2026 के संध्या 05:00 बजे तक प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर-812001 के पते पर निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथों-हाथ कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
3. निर्धारित तिथि तक सीलबंद लिफाफे में प्राप्त कोटेशन दिनांक-07.02.2026 को अपराह्न 02:00 बजे प्राचार्य कक्ष में गठित आंतरिक कय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जाएगा।
4. कार्य का विवरण:-

Sl.No	District Name	Name of Work	BOQ Amount In Rupees	EMD In Rs	Cost of BOQ In Rs	Period of Completion
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhagalpur	Renovation of ICT Lab Furniture & Electric Wiring Work	3,11,900.00/-	6,238.00/-	500.00/-	21 दिन

नोट:- (i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।

5. (क) परिमाण विपत्र के मूल्य का Bank Demand Draft (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एवं Principal, CTE Bhagalpur के नाम से देय एवं भागलपुर में भुगतान होना चाहिए।
(ख) वांछित अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/डाकघर सावधि जमा पासबुक/1,2,3 वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाईम डिपोजिट/फिक्स डिपोजिट रिसिप्ट (National/Schedule Bank) जो बिहार राज्य से क्रय या जमा किया हो जो Principal, CTE Bhagalpur के पक्ष में प्रतिज्ञिप्त (Pledge) हो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर कोटेशन मान्य नहीं होगा।
6. कोटेशन की वैधता अवधि-15 दिन।
7. संबंधित जिला के RCD (पथ निर्माण विभाग) कार्यालय से निबंधन होना अनिवार्य है।
8. सक्षम प्राधिकार के पास कोई कारण बताये बिना कोटेशन के आंशिक/पूर्ण भाग के कार्यों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
9. संवेदक द्वारा समर्पित कागजातों के आलोक में तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन के पश्चात सक्षम पदाधिकारी से अनुमोदन के पश्चात संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा। स्वीकृत संवेदक/कोटेशन दाता को कार्यादेश निर्गत होने के उपरांत अतिरिक्त 3% (तीन प्रतिशत) अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि का 5% (पांच प्रतिशत) अग्रधन की राशि के रूप में एकरारनामा करने के पूर्व जमा करना होगा।
10. संवेदक के विपत्र राशि का 5% जमानत की राशि के रूप में लिया जायेगा। इस प्रकार संवेदक से कुल 10% (5% अग्रधन की राशि 5% जमानत की राशि) राशि लिया जायेगा जो संवेदक द्वारा संतोषप्रद कार्य पूर्ण होने के 12 माह उपरांत वापस कर दी जायेगी।
11. कोटेशन दाता को निम्नलिखित आशय का कार्यपालक दण्डाधिकारी/नोटराईज्ड शपथ पत्र जो कार्य विशेष के लिए कोटेशन निर्गत की तिथि एवं कोटेशन अपलोड करने की तिथि के बीच में निर्गत हो, कोटेशन के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा बंधित (Debar) काली सूची (Black Listed) में दर्ज एवं विगत एक वित्तीय के अंदर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी आधारभूत संरचना निगम प्राधिकार में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/लेखा पदाधिकारी/लेखापाल इत्यादि के रूप में कार्यरत नहीं है।
(घ) कोटेशन में संलग्न सभी प्रमाण पत्र कागजात, विवरणी सत्य है।
(ङ) उपर्युक्त कंडिका क, ख, ग एवं घ में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका ड में से कोई अभिलेख असत्य, नकली जाली पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्रधन की राशि जब्त कर लिया जायेगा तथा वे संवेदक के उपर विधि सम्मत दंड, संवेदक के निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिये स्वतंत्र होंगे।
12. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के आलोक में लेबर सेस तथा मालिकाना फीस (Seigonoragge fees) की कटौती नियमानुकूल संवेदक के विपत्र से की जायेगी।
13. बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र से जी.एस.टी./टी.डी.एस इत्यादि की कटौती किया जायेगा।
14. निम्नांकित मामलों में अग्रधन की राशि जब्त की जा सकेगी:-
i. कोटेशन की अंतिम तिथि के उपरांत कोटेशन वापस लेने की स्थिति में।
ii. सफल कोटेशनदाता द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर कार्यादेश स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में।



अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,

घंटाघर, भागलपुर-812001

Email Id:- ctebhagalpur@gmail.com

website:-www.ctebhagalpur.in

iii. यदि कोटेशनदाता द्वारा कोटेशन में कोई गलत सूचना दी जाती है।

15. निर्मित कार्य का **Defect liability period** पूर्णता की तिथि से छः माह होगा।
16. स्वीकृत कोटेशनदाता को समस्त कार्य महाविद्यालय स्तर पर गठित कार्य "असैनिक कार्य गुणवत्ता जाँच समिति" के द्वारा **Approved Estimate** के आलोक में दिये गये आदेशानुसार ही करना होगा। किसी भी प्रकार के छोटे-मोटे बदलाव के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
17. यदि अधोहस्ताक्षरी महाविद्यालय के संज्ञान में संबंधित एजेंसी/संवेदक द्वारा कार्य संपादन में कोई संगीन चूक होने या संबंधित एजेंसी/संवेदक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने से कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या सफल कोटेशनदाता द्वारा कोटेशन में निर्धारित शर्तों से विचलन की स्थिति में एजेंसी/संवेदक का अनुबंध समाप्त कर **Security Deposit** के रूप में जमा राशि जब्त करने के साथ-साथ संबंधित एजेंसी/संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाई की जा सकती है।
18. इस विज्ञप्ति की सभी शर्तें एकरारनामा का अंश समझी जायेगी।
19. निर्धारित अवधि से विलंब से कार्य के पूरा होने की स्थिति में निम्नवत की जायेगी-

निर्धारित अवधि से विलंब से कार्य के पूरा होने पर	विलंब से कार्य के पूरा होने के उपरान्त देय राशि पर कटौती की प्रतिशत दर
एक सप्ताह विलंब होने पर	2 प्रतिशत
दो सप्ताह विलंब होने पर	5 प्रतिशत
दो सप्ताह से अधिक विलंब होने पर	भुगतान का कोई दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही Security Deposit को जब्त करते हुए एजेंसी/संवेदक को काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाई की जायेगी

20. नियम एवं शर्तें:-

कोटेशन दाताओं को कोटेशन के साथ निम्नलिखित प्रमाणपत्रों को उपलब्ध करना अनिवार्य है।

- i. सिविल वर्क सम्बंधी अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
- ii. जी0 एस0 टी0 का अद्यतन निबंधन प्रमाण पत्र
- iii. अद्यतन जी0 एस0 टी0 रिटर्न की प्रति
- iv. आयकर पैन कार्ड
- v. पिछले **Assessment Year** के **IT Return** की प्रति
- vi. आधार कार्ड की प्रति
- vii. चरित्र प्रमाण-पत्र

21. सबसे कम दर (L1) वाले कोटेशन दाता को कार्यालय आदेश निर्गत किया जाएगा।

बिना कारण बताये कोटेशन या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ परिवर्तित करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा। यदि न्यूनतम दर वाले कोटेशनदाता के साथ अनुबंध किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो उसके बाद कम दर अंकित करने वाले कोटेशनदाता का चयन कर न्यूनतम दर (L1) पर कार्य करने हेतु अनुबंध किया जाएगा।

Meenalokhi
31.01.2026

प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

ज्ञापांक-164 भागलपुर, दिनांक-31-01-2026

प्रतिलिपि:-संबंधित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं परिचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि वृहत् प्रचार-प्रसार हेतु महाविद्यालय के सूचना पट्ट, मुख्य द्वार, वेबसाईट एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करें।

प्रतिलिपि:-J.E. CTE Bhagalpur को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्रय समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-निदेशक, SCERT Patna की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

Meenalokhi
31.01.2026

प्रभारी प्राचार्य

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर

31/1/26

31/01/2026